

# फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

वकील

बनाम

मानाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 162/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
4/6/19	<p>प्रार्थनीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>वकील प्रार्थनीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस पर सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थनीगण के अनुसार प्रार्थनी की पैतृक खातेदारी कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा रेवाली, चैनोणियों की ढाणी तथा रतनाली नाडी में आई हुई है। प्रार्थनीगण की भूमि में विप्रार्थीगण हस्तान्तरण व हस्तक्षेप करने तथा निर्माण करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी।</p> <p>वकील प्रार्थनीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्ण्य क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थनीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 09/07/2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा रेवाली व चैनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली के खेत मूल खसरा नम्बर 145, 284, 140, 277 वर्तमान खसरा नम्बर क्रमशः 140, 145, 341/145, 342/145, 343/145, 344/145, 345/145, 346/145, 347/145, 348/145, 349/145, 350/145, 351/145, 352/145, 353/145, 357/145, 354/284, 353/284, 284, 355/284, 358/284, 356/284, 359/284, 767/277, 771/277, 769/277, 277, 770/277, 767/277 कुल रकबा 297.07, 53.15 व 75.03 बीघा तथा मौजा रतनाली नाडी पटवार मण्डल भीमडा के खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 7.5 बीघा भूमि में प्रार्थनीगण के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी, व्यवधान कारित नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार का कोई हस्तान्तरण आदि करें। राजस्व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 09/07/2019 को पेश हों।</p>	

04.6.2019  
सहायक कलक्टर (SDO)  
बायतु



3/7/19

गर्धी वाडिल उपर / विजार्थीगिण  
गौचिस ताठिल भद्र ताठिल भद्र  
इन्तवा होकर पत्रावली आगामी दिनांक  
6/8/19 को पत्रा होय

दिनांक

11/2020

6/8/19

पत्रावली आगामी दिनांक 6/8/19 को  
इन्तवा होकर पत्रावली आगामी दिनांक  
23/8/19 को पत्रा होय

26/08/19

पत्रावली आगामी दिनांक 26/08/19 को  
इन्तवा होकर पत्रावली आगामी दिनांक  
9/9/19 को पत्रा होय

16/10/19

गर्धी वाडिल उपर / विजार्थीगिण  
गौचिस गर्धी वाडिल उपर : पत्रा होय  
पत्रा लेन पर गौचिस होकर पत्रावली  
आगामी पेशी दिनांक 23/12/19 को  
पत्रा होय

23/12/19

पत्रावली आगामी दिनांक 23/12/19 को  
इन्तवा होकर पत्रावली आगामी दिनांक  
6/1/2020 को पत्रा होय

दिनांक हुक्म

हुक्म कार्यवाही भय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

6/1/2020

शर्मा वरिष्ठ उपायुक्त/पूर्व  
आइएफएच की पालना शर्मा  
वर्षों से तथा पत्रावली आगामी  
पेशी दिनांक 19/1/2020 को  
पेश होगी

विश्वनाथ

19/1/2020

शर्मा वरिष्ठ उपायुक्त/शर्मा  
का अलग का निर्णय लेकर  
दिनांक 19/1/2020 को  
वर्षों से अलग आवेदन का कोई  
आन्दोलन नहीं रहने के कारण  
शर्मा की शर्मा, फा इली  
स्टेज पर खारीक दिनांक  
के पत्रावली के अलग अलग  
नम्बर से जमने के आदिम इत्यादि

विश्वनाथ

सहायक कलेक्टर (SDO)  
जायपुर